भाग पांच : खण्ड सात

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2001

(क्रमांक 19 सन् 2001)

(दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य केक बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :

टिप्पणी

उद्देश्यों और कारणों का कथन - यह अनुभव किया गया है कि हल्दू, मुन्डी, अर्जुन तेन्दू और खम्हार वृक्ष की प्रजाति की लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, अतः यह आवश्यक समझा गया है कि राज्य में इन प्रजातियों के वृक्ष को काटकरा गिराने या हटाए जाने का विनियमन किया जाए।

2. यह विनिश्चित किया गया है कि, -

(एक) ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए उन्हें नगरेतर क्षेत्रों की कृषिक भूमि का भू-राजस्व दिया जाना चाहिए, और

(दो) गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिये, भूमि के व्यपवर्तन के मामलों का निपटारा अधिकतम चार मास की कालावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के शीघ्र आवंटन को सुकर बनाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 की उपधारा (3) में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

4. 'ग्राम सभा' के गठन तथा 'ग्राम कोष' की स्थापना के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के साथ एकरूपता लाने के लिए संहिता की धारा 232 को तद्नुसार प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

5. यह भी विनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि से वास्तविक कृषिक प्रयोजनों या घरेलू प्रयोजनों के लिए काटकर गिराये जाने या हटाए जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों की अधिकतम मात्रा संहिता के अधीन नियम की जानी चाहिए।

6. यह प्रस्तावित है कि संहिता की धारा 241 और 253 में विनिर्दिष्ट शास्ति की रकम में वृद्धि की जाए।

7. चूंकि, धारा 237 के संशोधन से संबंधित मामला आत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं थ, अतएवं, भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश,, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम लाया जाए।

8. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

1. संक्षिप्त नाम - इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2001 हैं।

2. धारा 2 का संशोधन - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (य-1) के उपखण्ड (सात) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोडे जाएं, अर्थात् -

"(आठ) एडाइना कॉर्डिफोलि (हल्दू) ;

(नौ) मिट्राागाइन पर्विफ्लोरा (मुन्डी);

(दस) टर्मिनेलिया अर्जुना (अर्जुन);

(ग्यारह) डायसपायरस मिलेक्सिलोन (तेन्दू);

(बारह) मैलिना अर्वोरिया (खम्हार)"।

---

* म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-9-2001 पृष्ठ 1037-1038 (1) पर प्रकाशित।

4. धारा 147 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 147 में, शब्द "सरकार को देय भू-राजस्व का बकाया" के स्थान पर, शब्द "सरकार या ग्राम सभा को देय भू-राजस्व का बकाया" स्थापित किए जाएं।

5 से 9 नहीं दिये।

10. धारा 241 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 241 में,

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :

"(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाए गये किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उसके उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, किसी अन्य कार्रवाही पर, जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपखण्ड अधिकारी के लिखित आदेश पर, पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसी शास्ति का, जो कि उसके द्वारा अधिरोपित की जाए, भुगतान करने का दायी होगा और उपखण्ड अधिारी यह और आदेश देगा कि इमारती लकड़ी के किन्हीं भी ऐसे वृक्षों का अधिहरण कर लिया जाए जो कि इन उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में काट कर गिराए गये हों।"

(ख) उपधारा (5) में, शब्द कोष्ठक और अंक "उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर के इमारती लकड़ी के वृक्षों को अपने वास्तविक कृषिक प्रयोजनों या घरेलू प्रयोजनों या घरेलू प्रयोजनों कलए काट कर गिराए जाने या हटाये जाने को लागू नहीं होगा।" के स्थान पर, शब्द कोष्ठक और अंक "उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बाद, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर के वृक्षों की दो घन मीटर तक इमारती लकड़ी एक वर्ष की कालावधि के दौरान अपने वास्तविक कृषिक प्रयोजनों या घरेलू प्रयोजनों के लिए काटकर गिराए जाने को लागू नहीं होगी, स्थापित किए जाएं।"

11. धारा 253 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं।

12. निरसन - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

भाग पांच : खण्ड आठ

मध्यप्रदेश राज्य के उप-वन मण्डल अधिकारियों द्वारा बकाया वन राजस्व की वसूली

1. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 1997 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 7-21-सात (सा) 1-78 दिनांक 19 जुलाई, 1979 द्वारा म.प्र. भूराजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20, वर्ष 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के समस्त उपखण्ड अधिकारी (वन) (उप-वन-मण्डलाधिकारी) को वे शक्तियां प्रदान करती हैं जो कि उक्त संहिता की धारा 146 तथा 147 के अधीन किसी तहसीलदार को प्रदत्त की गई हैं और यह भी निर्देश देती है कि इस प्रकार प्रदत्त की गई शक्तियां उनके द्वारा उनकी अपनी-अपनी अधिकारियों के भीतर की तहसीलों में ऐसे रोक धन की वसूली के सम्बन्ध में प्रयोक्तव्य होती जो कि :

(I) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) की धारा 82 के अधीन भू-राजस्व के बकाया की भांति वसली योग्य हो, और

(II) राज्य सरकार के वन विभाग की ऐसी किसी अनुदान, अनुबन्ध, पट्टा या संविदा के अधीन शोध्य हो जिसमें यह उपबन्ध हो कि वह धन, उस रीति में वसूली योग्य है जिसमें कि भू-राजस्व की बकाया वसूली की जाती है।

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार राज्य के समस्त उप-वन मण्डलाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बकाया राशि की वसूली के लिए अधिकृत है।

2. उप-वन मण्डलाधिकारी, इस प्रकार बकाया राशि की वसूली, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 145 एवं 156 के प्रावधान के अन्तर्गत करता है।

3(1) बकाया की वसूली के लिए निर्धारित प्रारूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट प्रदाय करना - वन मण्डलाधिकारी, बकाया राशि की वसूली के लिए निर्धारित फार्म (संलग्न 1) में रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, वे जिलाध्यक्ष के माध्यम से, जिस उप-वन मण्डल के क्षेत्र में बकायादार रहता हो, उस उपवन मण्डल अधिकारी को वसूली हेतु भेजेंगे।

नोट - यदि बकाया राशि सेन्धवा उप-वन मण्डल के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित है लेकिन बकायादार सेन्धवा उप-वन मण्डल क्षेत्र में निवास न कर इन्दौर निवास करता है और वहाँ उसकी सम्पत्ति है तो ऐसी वसूली उस उप-वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जावेगी, जिसके क्षेत्र में बकायादार निवास करता है तथा उसकी सम्पत्ति है अर्थात उप वन मण्डलाधिकारी, इन्दौर द्वारा की जावेगी।

3(2) रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर कार्यवाही- आर.आर.सी. प्राप्त होने पर उप वन मण्डल अधिकारी फाइल खोलेगा, प्रकरण क्र. अंकित करेगा और ऊपर रेवेन्यू आर्डर शीट में कार्यवाही दर्ज करेगा।

3(3) भू-राजस्व संहिता की धारा 145 (1) के अनुसार वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रमाणित लेखे का विवरण, जहां तक कि प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए शासन को देय बकाया या उसकी रकम का और उस व्यक्ति का जो कि बकायादार हो, सही विवरण माना जावेगा।

(4) मांग की सूचना- भू-राजस्व संहिता की धारा 146 के अनुसार उपवन मण्डलाधिकारी संलग्न प्रारूप "क" में बकायादार पर मांग की सूचना की तामीली करावेगा।

नोट - (1) तहसीलदार का कर्त्तव्य है कि वसूली की कार्यवाही करने के पूर्व, इस धारा के अन्तर्गत माँग की सूचना की तामीली कराये, अन्यथा आगे की समस्त कार्यवाहियाँ व्यर्थ और अवैध होंगी।

संदर्भ : (1) हर बिलास वि. म. प्र. राज्य, 1976 रा. नि. 413 (खण्डपीठ) (2) मथुरा दास राय बहादुर) वि. गिरधारी लाल ग्वालियर, फारेस्ट प्रोडक्ट वि. शासन, 1967 रा. नि. 173।

(2) यदि मांग की सूचना बकायादार पर तामील न कराई गई हो, तब कुर्की तथा विक्रय की कार्यवाही पूर्णत: अवैध होगी, भले ही बकायादार ने स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग लिया हो। (सन्दर्भ अब्दुल अली वि. डी. एफ. ओ. कोरिया, 1977, रा. नि. 51 हाईकोर्ट)

(3) सूचना की तामीली - सूचना की तामील के संबंध में "राजस्व पदाधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के नियम "अनसूची 1, में नियम 11 से 16 में दी है जिसका संक्षेप निम्नानुसार है :

नियम 11. सूचना की तामील संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिश: या उसके मान्यता प्राप्त अधिकर्ता को उसकी एक प्रति देकर या सौंपकर तथा दूसरी प्रति पर पावती प्राप्त कर ली जावेगी।

नोट - (1) सूचना की तामीली रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से भी की जा सकती है।

(2) मान्यता प्राप्त अभिकर्ता में वकील हो सकते हैं।

नियम 12. जहाँ संबंधित व्यक्ति मिल न सकता हो, और उसका कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्ता न हो वहाँ तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा हो।

व्याख्या - सेवक इस नियम के अन्तर्गत परिवार का सदस्य नहीं है।

नियम 13. में सम्बन्धित व्यक्ति, उसके अभिकर्ता या उसके परिवार के वरिष्ठ सदस्य को सूचना की एक प्रति देने पर, तामीली की अभिस्वीकृति के रूप में, मूल सूचना पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित करेगा जो मूल सूचना पर पृष्ठांकित किये जावेंगे।

नियम 14. यदि सूचना की तामीली उपरोक्त रीति में न की जा सकती हो तो उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास-स्थान पर या उस ग्राम में जहाँ बकायेदार की खेती हो, सार्वजनिक समागम की स्थान पर चिपकाई जा सकेगी। सूचना साक्ष्यों के सामने चिपकाई जावेगी तथा पंचनामा बनाया जावेगा जिसमें पंचों व मकान पहचानने वाले के हस्ताक्षर होंगे।

नोट - यदि बकायादार उपस्थित रहकर भी सूचना न लें, तब भी उसके निवास स्थान पर सूचना चिपकाई जा सकती है। (देखिये सियाल सोप स्टोन फैक्टरी वि. म. प्र. राज्य, 1977, रा. नि. 350; 1977 JLJ 727 सु. को.)

(4) सूचना की तामील उपरान्त कार्यवाही - सूचना की प्रति उपरोक्त नियम 11 से 14 में उपबन्धित रीति से तामील कराने के पश्चात्, तामील करेन वाला पदाधिकारी, सूचना की मूल प्रति, उस उप-वन मण्डलाधिकारी को जिसने सूचना जारी की, उस पर तामीली पृष्ठांकित कर वापस करेगा।

सूचना चिपकाई जाने की स्थिति में वह प्रतिवेदन संलग्न करेगा, जिस पर वह उन परिस्थितियों का, जिसके अधीन उसने ऐसा किया, और उस व्यक्ति के नाम व पते का उल्लेख करेगा जिसके सामने सूचना चिपकाई तथा यदि उस व्यक्ति के अन्तिम निवास-स्थान पर सूचना चिपकाई जावे तो उस प्रतिवेदन में साक्ष्यों के नाम, जिनके सामने सूचना चिपकाई गई हो, उस व्यक्ति का नाम व पता भी देगा जिसने घर पहचाना हो, साथ ही स्थल पर बनाया पंचनामा भी संलग्न करेगा।

नोट - बकायादार का पता न चलने पर सूचना का प्रकाशन राजपत्र एवं क्षेत्र के प्रमुख पत्रों में करा कर किया जा सकता है।

(5) बकायादार की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण ज्ञात करना - उप-वन मण्डलाधिकारी (अतिरिक्त तहसीलदार) वन मण्डलाधिकारी से आर. आर. सी. प्राप्त होने पर, बकायादार का समस्त चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त करेगा। जिसमें,

(1) वन मण्डल में जमा बकायादार की प्रतिभूतियों (Security deposits) के रूप में जमा धन।

(2) नगरपालिका, पंचायत आदि से उसकी अचल सम्पत्ति, मकान आदि का विवरण मँगावें।

(3) जिस ग्राम में उसकी कृषि भूमि कोने की जानकारी प्राप्त होने पर पटवारी से उसकी कृषि भूमि का विवरण मँगाना चाहिए।

(4) उसके पास कोई वाहन हो तो उसकी आर.टी.ओ. ऑफिस से विवरण प्राप्त करना।

(6) बकायादार की मृत्यु - यदि प्रमाणित लेखे का विवरण या रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, किसी मृत व्यक्ति के नाम बना हो, और उसके नाम मांग की सूचना-पत्र जारी की गई हो तो वसूली की समस्त कार्यवाही अवैध होगी। [1]यदि वसूली धारा 155 के अन्तर्गत देय धन की जा रही हो तब भी मृत व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही वैध नहीं हो सकती।[2]

आर. आर. सी. जारी करने वाले अधिकारी का दायित्व है कि मूल बकायादार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके वैध उत्तराधिकारी का पता लगाकर उसी के नाम आर. आर. सी. जारी करें।

(7) मांग सूचना पर बकायादार की आपत्ति का निराकरण - यदि मांग की सूचना की तामीली उपरान्त बकायादार कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उसका इन नियमों के आधार पर निराकरण किया जावे।

(8) मांग सूचना के उपरान्त की कार्यवाही - पैरा 5(3) एवं 5(4) में दी प्रक्रिया के अनुसार मांग की सूचना की तामील होने पर तथा मांग की सूचना में दी अवधि समाप्त होने पर तथा बकायादार की चल/अचल सम्पत्ति की विधिपूर्वक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् यदि बकायादार द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराई जावे तो आगे निम्नानुसार कार्यवाही होगी।

नियम

9(1) धारा 147 : बकाया की वसूली के लिए आदेशिका - शासन को देय भू-राजस्व का बकाया निम्नलिखित आदेशिकाओं में से किसी एक या अधिक के द्वारा तहसीलदार द्वारा वसूल किया जा सकेगा।

(क) चल-सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा,

(ख) उस खाते की, जिस पर बकाया प्राप्त हो, कुर्की तथा विक्रय द्वारा, और जहां ऐसा खाता एक से अधिक परिमाप अंक (सर्वे नम्बर) या भू-खण्डांक से बनता हो, तो ऐसे सर्वे नम्बर या भू-खण्डांकों में से एक या अधिक के, जैसा बकाया वसूल करने के लिए आवश्यक समझा जावे, विक्रय द्वारा।

(ख ख) उस खाते की, जिस पर विक्रय शोध हो, कुर्की द्वारा तथा उसे भू-राजस्व संहिता की धारा 154 (अ) के अर्न्तगत पट्टे पर देकर,

(ख ख ख) बकायादार के किसी अन्य खाते की, जो कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, कुर्की द्वारा अथवा उसे धारा 154 (अ) के अधीन पट्टे पर देकर,

(ग) बकायादार की किसी अन्य अचल-सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा :

परन्तु चरण (क) तथा (ग) में उल्लिखित आदेशिकाओं से निम्नलिखित की कुर्की और विक्रय नहीं होगा, अर्थात्,

(एक) बकायादार, उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहिनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन बनाने के बर्तन, पत्नी तथा बच्चों की शैया तथा बिस्तर और ऐसे वैयक्तिक आभूषण जो धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी स्त्री द्वारा नहीं त्यागे जा सकते हों;

(दो) कारीगरों के औजार और यदि बकायादार कृषक हो तो यांत्रिक शक्ति द्वारा चलित उपकरण के अतिरिक्त उसके कृषि फार्म संबंधी उपकरण और ऐसे पशु तथा बीज जो तहसीलदार की राय में उस रूप में अपनी आजीविका कमाने में उसे समर्थ बनाने में आवश्यक हों।

(तीन) ऐसी वस्तुएँ जो केवल धार्मिक धर्मस्वों के उपयोग के लिए पृथक् रख दी गई हों।

---

1. जालम सिंह वि. म. प्र. शासन, 1972 रा. नि. 273।
2. रमाशंकर बाजपेई वि. फिदा हुसेन 1966, रा. नि. 141।

(चार) किसी कृषक के तथा उसके दखल में लिये गृह तथा अन्य भवन, उसकी सामग्रियाँ तथा उसके स्थलों एवं उस भूमि सहित जो उससे बिल्कुल लगी हो और उपयोग के लिए आवश्यक हों :

परन्तु यह और भी कि बकायादार खण्ड "ख" में निर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं देगी जहाँ कि -

(1) अनुसूचित क्षेत्र में छः हेक्टेयर या छः हेक्टेयर से कम भूमि।

(2) अन्य क्षेत्रों में, चार हेक्टेयर या चार हेक्टेयर से कम भूमि, धारण करता हो।

स्पष्टीकरण - इस परन्तुक के प्रयोजनों एक लिये "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है कोई क्षेत्र जो भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कण्डिका 6 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो।

9(2) नियम 147 (एक) के अर्न्तगत कार्यवाही- मांग की सूचना के पश्चात् बकायादार की चल तथा अचल सम्पत्ति का कुर्की की जायेगी। उपवन मण्डलाधिकारी (अतिरिक्त तहसीलदार) उनके प्रभार के क्षेत्र में ही कुर्की कर सकता है।

चल सम्पत्ति की कुर्की प्रारूप "ख" में दिये फार्म पर होगी तथा अचल सम्पत्ति की कुर्की प्रारूप "ग" में दिये फार्म पर होगी। कुर्की का मुख्य उद्देश्य है कि बकायादार संबंधित सम्पत्ति को विक्रय, दान या बन्धक द्वारा अन्तरित न कर सके। यदि किसी सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए प्रारूप "ख" या "ग" के अधीन उद्घोषित जारी कर दी हो और निम्नानुसार उसका निर्वाह कर दिया हो तो ऐसे निर्वाह के पश्चात् किया गया सम्पत्ति का अन्तरण (Transfer) निष्प्रभावी होगा।

9-(3)-1- कुर्की की उद्घोषणा का निर्वाह, चल सम्पत्ति की कुर्की - बकायादार की कुर्क होने वाली चल सम्पत्ति, वास्तविक अभिहरण द्वारा की जायेगी और कुर्की करने वाला पदाधिकारी उस सम्पत्ति को अपने स्वयं की अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ में से किसी की अधीनस्थ की रक्षा में रखेगा और सम्यक् अभिरक्षा का उत्तरदायी होगा।

9-(3)-2- जब अभिग्रहीत सम्पत्ति, शीघ्र तथा स्वाभाविक रूप से क्षयशील हो या उसे अभिरक्षा में रखने का मूल्य उसके मूल्य से अधिक हो जाने की संभावना हो तो कुर्की करने वाला अधिकारी उसे तुरन्त बेच सकेगा।

यदि कुर्क की गई सम्पत्ति, पशुधन या अन्य वस्तुएँ हों जो सुविधापूर्वक न हटाई जा सकती हों, तो वह उस बकायादार या ऐसी सम्पत्ति में हित रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति या प्रेरणा पर उसे ग्राम में, या उस स्थान पर जहाँ कुर्क की गई हो -

(क) पशु के संबंध में - बकायादार या उस स्थान के कांजीहाउस के रखवाले के प्रभार में,

(ख) अन्य वस्तु के संबंध में - ऐसी सम्पत्ति में हित रखने वाले किसी व्यक्ति के या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रभार में, जो ऐसी रकम का, जो सम्पत्ति के मूल्य से कम न हो, एक या अधिक प्रतिभूतियों सहित या बंधनामा (Surety Bond) लिखकर कि वह ऐसी सम्पत्ति की उचित देखभाल रखेगा और आदेश होने पर उसे प्रस्तुत करेगा, ऐसी सम्पत्ति को रखने का वचन दें; छोड़ सकेगा।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी, कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची बनायेगा और उसके सम्बन्ध में उस व्यक्ति की, जिसकी रक्षा में सम्पत्ति छोड़ी हो, और सूची के सही होने के प्रमाण में बकायादार की ओर से कम से कम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अभिस्वीकृति लेगा। अभिप्रमाणित की सूची भी उपरोक्त अनुसार अभिप्रमाणित की जायेगी।

9-(4) कृषि उपज की कुर्की - (1) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति, कृषि उपज है, तो कुर्की के अधिपत्र की एक प्रति -

(क) जहाँ ऐसी उपज खड़ी हो तो उस भूमि पर, जिस पर ऐसी फसल उगी हो; या

(ख) जहाँ ऐसी उपज काट ली गई हो, या इकट्ठी कर ली गई हो, तो खलियान या दांवन चलाकर अनाज निकालने के स्थान पर या उसी प्रकार के स्थान पर या गंजी पर, जिसमें वह जमा की गई हो, चिपका कर कुर्क करेगा।

तथा दूसरी प्रति उस घर के, जिसमें बकायादार साधारणतः निवास करता हो, उसके बाहरी दरवाजे पर, या किसी अन्य सहजदृश्य स्थान पर, यदि कोई ऐसा घर न हो तो उस घर के, जिसमें वह कारोबार करता हो या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता हो, या यदि वह वहाँ नहीं हो तो जिस मकान में उसका उससे अन्तिम निवास करना, कारोबार करना या लाभ के लिये कार्य करना ज्ञात हो, बाहरी दरवाजे पर अथवा किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर तामील की जायेगी और तदुपरान्त फसल न्यायालय के कब्जे में हो गई समझी जायेगी।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी, कृषि उपज की अभिरक्षा के लिए और उपज की संभाल करने कटाई उसे इकट्ठा करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी वह पर्याप्त समझे, तथा यदि पकी न हो तो उसके पकाने तथा सुरक्षित रखने के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य करेगा।

(3) फसल की अभिरक्षा, संग्रह, पकाने आदि पर किये गये व्यय, बकायादार द्वारा वहन किया जायेगा।

(5) कुर्क किये पशुधन या अन्य सम्पत्ति पर रख-रखाव सुरक्षा व्यय - नियम 21(1) जहाँ कुर्क किया पशुधन बकायादार के प्रभार में न छोड़ा गया हो, तो उसे खिलाने, पानी पिलाने के व्यय ऐसी दर से लिए जावेंगे जिन्हें कलेक्टर सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा नियत करें बकायादार से वसूल किया जावेगा।

(2) जहाँ कुर्क की गई सम्पत्ति कृषि उपज या पशुधन के अतिरिक्त अन्य चल सम्पत्ति हो, और बकायादार के प्रभार में नहीं छोड़ी गई हो, तो उसकी सुरक्षित अभिरक्षा का व्यय ऐसी दर से लिया जायेगा, जिन्हें कलेक्टर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।

(3) उपरोक्त (1) तथा (2) के अधीन किये गये व्यय सम्पत्ति कि विक्रय पर प्रथम प्रभार होंगे अर्थात् विक्रय से प्राप्त धन में से पहले उपरोक्त व्यय वसूल किया जावेगा और शेष राशि बकाया के पेटे जमा होगी।

9-(6) अचल सम्पत्ति की कुर्की - अचल सम्पत्ति की कुर्की, बकायादार की उस सम्पत्ति किसी भी रीति में अन्तरित (Transfer) करने या उसे प्रभारित करने का और समस्त व्यक्तियों को ऐसे अन्तरण या प्रभार से कोई लाभ उठाने का प्रतिषेध करने वाले आदेश द्वारा की जावेगी। यह आर्दश प्रारूप "ग" में दिये फार्म में होगा।

9-(7) कुर्की के आदेशों की उद्घोषणा - चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की के आदेश की प्रतियां उपवन मण्डलाधिकारी (अतिरिक्त तहसीलदार) निम्न अनुसार प्रेषित करेंगे-

(1) संबंधित तहसीलदार को उसके सूचना पटल पर चिपकाने हेतु।

(2) यदि वह ग्राम टप्पा कार्यालया के अधीन हो तो संबंधित टप्पे के नायब तहसीलदार को उसके सूचना पट पर चिपकाने हेतु।

(3) बकायादार को।

(4) अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में जहाँ अचल सम्पत्ति का अभिलेख रखा जाता है और नामान्तरण की कार्यवाही होती है उस कार्यालय में जैसे नगरपालिका में, पंचायत में रजिस्ट्रार के यहाँ या ऐसे अन्य कार्यालय में।

(5) जिस गाँव में सम्पत्ति हो वहाँ, तथा यदि बकायादार उस ग्राम में निवास न करता हो तो बकायादार के निवास में (दोनों जगह) सार्वजनिक स्थान पर चिपकाकर।

(6) जिस गाँव में सम्पत्ति स्थित हो उस ग्राम में डोंडी पिटवाकर या अन्य विधि से प्रचार कराकर।

(7) संबंधित ग्राम या ग्रामों के जिसमें सम्पत्ति या सम्पत्तियाँ स्थित हैं, पटवारियों को

(8) उपरोक्त पैरा में दिये अनुसार सम्पत्तियों पर चिपकाकर।

उद्घोषणा की जावेगी।

9-(8) कुर्की के विरुद्ध आपत्ति - कभी-कभी बकायादार की सम्पत्ति की जानकारी के आधार पर अन्य व्यक्ति या दावेदार की सम्पत्ति कुर्क हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति आपत्ति कर सकता है। ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर तहसीलदार उसकी जाँच करेगा। जांच के परिणामस्वरूप आपत्ति को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। तहसीलदार का यह आदेश निश्चयात्मक होगा अर्थात् इसके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा। केवल तहसीलदार के आदेश से पीडित व्यक्ति सिविल बाद संस्थित कर सकेगा। ऐसे वाद के लिये वर्ष की काल सीमा नियत की गई है जिसकी गणना तहसीलदार के आदेश के दिनांक से होगी।

9. (9) खाते को पट्टे पर देना - यदि किसी बकायादार के पास कृषि भूमि हो, तथा यदि उसका विक्रय करना नहीं प्रस्तावित हो, तो उस भूमि को कुर्क करने पश्चात्, धारा 154 (अ) के अनुसार अर्थात् बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति को, ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर, जो कलेक्टर नियत करे, दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा, जो ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रथम दिन से प्रारम्भ होती हो।

पट्टे की कालावधि की समाप्ति होने पर वह खाता सम्बन्धित व्यक्ति को मुक्त रूप में वापस दिला दिया जायेगा। इस प्रकार खाते को पट्टे पर देने सम्बन्धी उद्घोषणा प्रारूप "ग" 1 में होगी तथा पट्टा दिये जाने बावत् मन्जूरी के पश्चात पट्टा विलेख प्रारूप "ग" 2 में दिया जायेगा।

10. चल सम्पत्ति का विक्रय -

10. (1) विक्रय की घोषणा - मांग सूचना के निर्वहन तथा सम्पत्ति की कुर्की के उपरान्त भी। यदि बकाया राशि की वसूली नहीं होती है, तो उसका विक्रय किया जावेगा। विक्रय की उद्घोषणा प्रारूप "घ" में की जायेगी। इस घोषणा को जारी करते समय निम्न सावधानियाँ आवश्यक हैं, अर्थात्-

(1) विक्रय की घोषणा में वसूल की जाने वाली बकाया रकम का सही रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। यह रकम नितान्त सही लिखी जानी चाहिए। यदि विक्रय की घोषणा के उपरान्त कोई और राशि बकाया होने की आर. आर. सी. मिलती है तो उसकी पृथक से कार्यवाही की जायेगी। इस विक्रय से वह राशि वहीं वसूल की जा सकती। यदि विक्रय की उद्घोषणा में दिखाई गई रकम मांग की सूचना से भिन्न होगी को नीलाम अवैध हो जायेगा।

(2) नीलाम की तारीख, स्थान, समय की उद्घोषणा : में नीलाम का स्थान, दिनांक तथा समय स्पष्ट रूप से देना चाहिए। विक्रय की उद्घोषणा की तामील के 30 दिन पूर्व नीलाम की तारीख नहीं होनी चाहिए। अन्यथा नीलाम अवैध हो जायेगा।

(3) कोई भी विक्रय, रविवार को या प्राधिकृत छुट्टी के दिन या उस क्षेत्र के लिये जिसे विक्रय किया जाना हो, स्थानीय छुट्टी के रूप में घोषित किसी दिन नहीं किया जायेगा।

(4) विक्रय की उद् घोषणा में निम्नलिखित का यथा-सम्भव स्पष्ट तथा ठीक-ठीक उल्लेख किया जायेगा-

(क) बेची जाने वाली सम्पत्ति का,

(ख) ऐसी अन्य बात का जिससे सम्पत्ति का प्रकार तथा मूल्य आंकने के लिए क्रेता का जानना महत्वपूर्ण समझा जाये।

10 (2) चल सम्पत्ति कृषि उपज हो - (1) जहाँ बेची जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज हो -

(क) यदि ऐसी उपज खड़ी फसल हो तो उस भूमि पर या उसके समीप ऐसी फसल उगी हो, नीलाम किया जावेगा।

(ख) यदि फसल काट कर रखी हो, तो खलियान में, या दांय चलाकर अनाज निकालने के स्थान पर या उसी प्रकार के स्थान पर या कटे अनाज की गंजी पर या उसके समीप किया जायेगा:

परन्तु तहसीलदार सार्वजनिक समागम के समीपतम स्थान पर नीलाम कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा करने से अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना हो।

(2) यदि उपज के बेचे जाने पर -

(क) विक्रय करने वाले अधिकारी के अनुमान के अनुसर उसक उचित मूल्य न प्राप्त हो रहा हो,

(ख) उपज का स्वामी, या उनकी ओर से कार्य करने वाला अधिकृत व्यक्ति, विक्रय या आगामी दिन तक या विक्रय के स्थान पर हाट लगती हो तो हाट के दिन के लिये स्थगित करने का आवेदन करे,

तो विक्रय तदनुसार स्थगित कर दिया जायेगा, परन्तु स्थगित करने के उपरान्त अगले नीलाम में नीलाम किया जायेगा चाहे उपज का कुछ भी मूल्य प्राप्त हो।

जब बेची जाने वाली वस्तु खड़ी फसल हो

8-3-(1) जहाँ विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति खड़ी फसल हो, तथा फसल इस प्रकार हो कि वह संग्रहित की जा सकती हो, परन्तु अभी तक संग्रहित न की गई हो, तो विक्रय के लिये ऐसा दिन नियत किया जाये, जब फसल को काट कर संग्रहण कर लिया जावे।

(2) जब फसल इस प्रकर की हो कि वह कोट जाने योग्य न हो, अर्थात अपरिपक्व हो, और अधिकारी की राय में परिपक्व अवस्था में अधिक लाभ के साथ बेची जाना आशायितन हो तो काटने व संग्रहित करने के पूर्व विक्रय किया जा सकेगा और क्रेता भूमि पर प्रवेश करने तथा ऐसे समस्त कार्य करने का हकदार होगा जो फसल की देखभाल के लिये, काटने अथवा एकत्रित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

8.(3) नीलाम - जब चल सम्पत्ति, सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेची जावे तब प्रत्येक आयटम का अलग-अलग नीलाम किया जावेगा जैसे जप्त सामान में भैंस तथा बर्तन, हो तो भैंस और बर्तनों को अलग-अलग नीलाम किया जावेगा।

बोली समाप्त होने पर पूरा मूल्य तत्काल सफल बोलीदार द्वारा जमा कराना होगा यदि सफल बोलीदार पूरा मूल्य न जमा करायेगा तो सम्पत्ति पुनः तत्काल बेंची जायेगी।

पूरा मूल्य प्राप्त होने पर, विक्रय करने वाला अधिकारी वह चल सम्पत्ति जिसका वास्तविक अभिग्रहण किया जा सकता हो सफल बोलीदार को सौंपेगा, उससे पावती लेगा तथा नीलाम पूर्ण होगा।

अन्य चल सम्पत्ति की दशा में राजस्व अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को क्रेता में, या जैसा कि वह निर्देशित करे, इस प्रकार निहित करते हुए आदेश दे सकेगा और ऐसी सम्पत्ति तद्नुसार निहित होगी।

चल सम्पत्ति के लिये विक्रय के प्रकाशन अथवा संचालन में की गई कोई भी अनियमितता विक्रय को निष्फल नहीं करेगी, परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी व्यक्ति की अनियमितता से हानि पहुँची हो, उसके विरुद्ध मुआवजे के लिये, या विशिष्ट सम्पत्ति के पुनः प्राप्ति के लिये और ऐसी पुनः प्राप्ति न होने की स्थिति में मुआवजे के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

11. अचल सम्पत्ति का नीलाम - अचल सम्पत्ति में सम्मिलित हैं :

(i) खातों का विक्रय,

(ii) अन्य अचल सम्पत्ति का विक्रय,

खातों के विक्रय की उद्घोषणा प्रारूप 'ड' में की जावेगी, तथा विक्रय प्रमाण-पत्र प्रारूप 'च' में दिया जावेगा।

अचल सम्पत्ति की विक्रय की उद्घोषणा में वसूल की जाने वाली सही राशि दी जावेगी।

(2) नीलाम की तारीख, स्थान व समय निश्चित करना।

(3) अवकाश के दिन नीलाम न रखा जावे।

इसके अतिरिक्त - उद्घोषणा में निम्न जानकारी भी दी जावेगी तथा

(क) बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण,

(ख) जहाँ बेची जाने वाली सम्पत्ति कृषि भूमि हो तो जिसके, राजस्व का भुगतान शासन को किया जाता है, तो उस भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व का विवरण दिया जायेगा।

खाते के विक्रय की उद्घोषणा, उस क्षेत्र के भीतर जहाँ वह खाता स्थित हो तथा उस क्षेत्र सहकारी बैंक तथा भूबंधक बैंक को भेजी जायेगी।

राजस्व धिकारी यदि उचित समझे तो बकायादार को बुला सकेगा और विक्रय उद्घोषणा में सम्मिलित विषयों के सम्बन्ध में उससे पूछताछ कर सकेगा। यदि आवश्यक हो तो जानकारी लेखबद्ध करेगा।

11-(1) अन्य अचल सम्पत्ति के विक्रय की उद्घोषणा - खातों के अतिरिक्त सम्पत्ति की बिक्री की उद्घोषणा प्रारूप 'छ' में होगी तथा विक्रय प्रमाण-पत्र 'ज' में दिया जायेगा।

साथ ही प्रारूप में सही बकाया राशि, नीलाम का दिनांक, समय व स्थान, नीलाम अवकाश के दिन में न रखा जाना, उद्घोषणा व नीलाम में 30 दिन का अन्तर होना, आदि बातों का ध्यान रखा जायेगा।

11-(2) अचल सम्पत्ति का विक्रय - अचल सम्पत्ति के विक्रय को भूराजस्व संहिता अनुसूची 1 नियम क्र. 37 से 46 नियंत्रित करते हैं जो निम्नानुसार है :

37 अचल सम्पत्ति के प्रत्येक विक्रय पर क्रेता घोषित व्यक्ति, नीलाम के तुरन्त पश्चात् क्रय धन के पच्चीस प्रतिशत के हिसाब से निक्षेप की भुगतान करेगा। ऐसे निक्षेप जमा न होने पर सम्पत्ति का पुनः विक्रय कर दिया जायेगा।

38. देय क्रय मूल्य की सम्पूर्ण रकम, क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान कर दिया जोयगा।

39. उपरोक्त नियम 38 में वर्णित कालावधि के भीतर भुगतान न होने की दशा में, यदि अधिकारी उचित समझे, तो विक्रय के व्ययों को देने के पश्चात्, निक्षेप शासन के हित में जप्त किया जा सकेगा, और सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जायेगा और चूक करने वाला क्रेता सम्पत्ति के सम्बन्ध में, उस धनराशि के सम्बन्ध में, जितने में व पश्चात् बेची जावे, समस्त दावे खो बैठेगा।

40. जब अचल सम्पत्ति इस संहिता के अधीन बेची गई हो, सम्पत्ति का स्वामी, अथवा विक्रय के पूर्व अर्जित किये हक के आधार पर उसमें हित रखने वाला व्यक्ति, विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय निम्नलिखित धनराशियाँ जमा कर राजस्व अधिकारी को विक्रय रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा:

(क) क्रेता द्वारा भुगतान किये जाने वाले क्रय धन से 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि।

(ख) बकायादार पर बकाया पूर्ण राशि; जिसमें उसके द्वारा जमा रकम कम करके;

(ग) विक्रय का परिव्यय;

यदि ऐसा निक्षेप विक्रय के दिनांक से तीस दिन की अवधि में जमा किया जाये तो अधिकारी विक्रय को रद्द करने का ओदश पारित करेगा।

41. विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर, किसी भी समय कोई व्यक्ति, जिसके हित इस विक्रय से प्रभावित होते हों, विक्रय में कोई महत्वपूर्ण अनियमितता, या विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई भूल के आधार पर, विक्रय रद्द करने हेतु आवेदन कर सकेगा और राजस्व अधिकारी उससे प्रभावित व्यक्तियों को सूचना देने के पश्चात् तथा उसकी सुनवाई करने के उपरान्त और उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी अनियमितता या भूल से उसे सारभूत क्षति पहुँची है, विक्रय को रद्द करने का आदेश पारित कर सकेगा एवं पुनः विक्रय का आदेश दे सकेगा।

43. नियम 41 के अधीन कोई भी पुनः विक्रय नहीं किया जायेगा जब तक कि वांछित प्रारूप में पुनः उद्घोषणा प्रकाशित न कर दी गई हो।

44. विक्रय के दिनांक के तीस दिन समाप्त होने पर तथा नियम 40, 41 अथवा 42 के अधीन कोई आवेदन-पत्र न दिया गया हो, और यदि दिया गया हो उसका निराकरण कर अस्वीकार कर दिया गया हो, तो राजस्व अधिकार विक्रय की पुष्टि का आदेश परित करेगा :

परन्तु यदि कलेक्टर यह विचार करने का कारण रखता है कि

(एक) इस बात के होते हुए भी कि कोई आवेदन नहीं दिया गया है,

(दो) किसी आवेदन-पत्र में, जो दिया गया हो और अस्वीकार किया गया हो, कथित आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर;

(तीन) इस बता के होते हुए कि विक्रय के दिानांक से तीस दिन की अवधि समाप्त हो गई है।

विक्रय को रद्द कर दिया जाना चाहिए, तो वह विक्रय की पुष्टि करने वाले आदेश देने के पूर्व किसी भी समय, अपने कारण अभिलिखित करके, विक्रय को रद्द कर सकेगा।

45 (1) यदि नियम (41) के अधीन कोई आवेदन-पत्र उसके लिये अनुज्ञप्ति समय के भीतर न दिया जाये, तो अनियिमितता या भूल के आधार पर समस्त दावे कालावरोधित हो जायेंगे।

45 (2) उपनियम (1) की कोई भी बात कपट के आधार पर या इस आधार पर कि वह बकाया जिसके लिए सम्पत्ति का विक्रय किया गया है, देय नहीं है, या इस आधार पर कि विक्रय की गई सम्पत्ति में बकायादार का कोई भी विक्रय योग्य हित नहीं है विक्रय को रद्द करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद संस्थित करने से नहीं रोकेगी।

46. यदि किसी सम्पत्ति का विक्रय नियम 40, 41, 42, या 44 के अधीन रद्द किया जाता है तो क्रेता द्वारा निक्षेप किया गया धन उसे वापस कर दिया जायेगा :

9. (3) नीलाम के सम्बन्ध में सामान्य नियम (ख) (1) विक्रय अधिकारी, अपने विवेक के अनुसार किसी भी विक्रय को स्थगित करने के सम्बन्ध में कारण आलेखबद्ध करते हुए, अगली तिथि के लिए स्थगित कर सकेगा।

(2) जब विक्रय 15 दिवस से अधिक कालावधि के लिए स्थगित किया जाये तो नवीन उद्घोषणा की जायेगी।

(3) प्रत्येक विक्रय रोक दिया जायेगा; यदि अन्तिम बोली स्वीकार होने के पूर्व विक्रय करने वाले अधिकारी को, बकायादार देय रकम तथा परिव्यय जमा करा दे या इस बात का समाधानकारक प्रमाण दे कि बकाया राशि उसने जमा करा दी है।

30. मूल्य में होने वाली प्रत्येक कमी, जो क्रेता की त्रुटि के कारण, पुन: विक्रय होने पर हो, त्रुटि करने वाले क्रेता से इस प्रकार वसूली योग्य होगी, मानों वह भू-राजस्व का बकाया हो।

31. कोई भी पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में किसी कर्त्तव्य का पालन करना हो, बेची जाने वाली सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष रूप में न तो बोली लगायेगा न उसमें कोई हित अर्जित करेगा और न हित अर्जित करने की चेष्टा करेगा।

12. धारा 148 बकाया के भाग के रूप में वसूली योग्य खर्च - धारा 146 के अधीन माँग की सूचना तामील कराने और धारा 147 के अधीन किसी आदेशिका को जारी करने या प्रवर्तित करने का खर्च उस बकाया के भाग के रूप में वसूली योग्य होगा।

प्रोसेस फीस (निर्वाह शुल्क) निम्नानुसार देय होगी।

जब कि मालियत का दावा इससे अधिक न हो					
(1) प्रोसेस का प्रकार	लघुवाद न्याय के मामले में 500/- तक	रु. 1000/- तक	रु. 5000/- तक	रु. 10,000/- तक	रु. 10,000/- से अधिक
(1) व्यक्तिगत गिरफ्तारी	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
(2) वारन्ट गिरफ्तारी	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
(3) कुर्की चल-सम्पत्ति	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
(4) कुर्की अचल-सम्पत्ति	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
(5) नीलाम की उद्घोषणा					
(अ) चल-सम्पत्ति (ब) अचल-सम्पत्ति	2.00 3.00	2.50 3.50	3.00 4.00	3.50 4.50	4.00 5.00
(6) कब्जा अचल सम्पत्ति	2.50	3.00	4.00	5.50	5.50
(7) अन्य उद्देश्य जिसका उल्लेख ऊपर नहीं है।	1.00	1.25	1.50	2.00	2.00

13. धारा 149. अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्त्तन - धारा 147 के खण्ड 'क' तथा 'ग' में उल्लिखित आदेशिकाओं का प्रवर्तन जिस जिले में चूक की गई यदि बकायादार, दूसरे जिले में रहने चला जावे तो दूसरे जिले में वहाँ के जिलाध्यक्ष के माध्यम से अन्य जिले में प्रवर्तित हो सकेगी।

14. विक्रय से प्राप्त धनराशि का समायोजन - भूराजस्व संहिता की धारा 151 के अनुसार विक्रय से प्राप्त राशि का समायोजन निम्न प्रकार से होगा -

(1) प्रथमतः बकाया राशि जिसके सम्बन्ध में विक्रय किया गया उसके ऐसे विक्रय सम्बन्धी व्यय (जैसे डोंडी पीटना आदि) पशु को चारा पानी देना सम्पत्ति की सुरक्षा व्यय आदि।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बकाया राशि से देयउपकरों के किसी बकाया भुगतान में;

(3) बकायादार द्वारा राज्य शासन को देय अन्य बकाया के भुगतान में, जो आर.आर.सी. में दी हो।

(4) बकायादार द्वारा किसी सहकारी संस्था को देय किसी बकाया के रूप में;

शेष धन बकायादार को, अथवा बकाया बकायादारों को बेची गई सम्पत्ति में उनके अपने-अपने अंशों के अनुरूप भुगतान योग्य होगा।

बकायादारों को भुगतान, चल समय की बिक्री के दिनांक से तथा अचल सम्पत्ति के मामले में विक्रय की पुष्टि के दिनांक से दो माह पश्चात् ही किया जावेगा।

बकाया के कारण बेची गई भूमि भारों से मुक्त होगी। जहाँ अचल-सम्पत्ति का विक्रय उपरोक्त अनुसार किया जाये तथा विक्रय पूर्ण हो जाए तो सम्पत्ति का जिस दिन विक्रय किया गया उस दिन से क्रेता में निहित समझी जावेगी तथा विक्रय के बकाया भू-राजस्व का क्रेता दायी न होगा।

15. प्रतिभू से वसूली- भू-राजस्व संहिता 1955 की धारा 156 में प्रतिभू से भी बकाया धन, भू-राजस्व की भांति वसूल करने का प्रावधान करती है।

प्रतिभू तभी अदा करने का दायी होगा जब वह अनुबन्ध करके प्रतिभू बना हो। (देखें, भगवानदास वि. जिला आबकारी अधिकारी 1980 शा. नि. 539)

प्रतिभू का दायित्व भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act) के अनुसार निरुपित होगा और उसी के अनुसार प्रतिभू के बन्धनामे की वैधता होगी।

जब बन्धनामें में यह स्पष्ट उपबन्ध हो कि मूल देनदार से वसूली न हो सकने पर ही वसूली होगी तब मूल देनदार से वसूली करने की कार्यवाही के पहले प्रतिभू से वसूली नहीं की जा सकती।

प्रतिभू होने का प्रस्ताव करना मात्र प्रतिभू पर दायित्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस प्रस्ताव को शासन द्वारा स्वीकार करना चाहिये। प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रतिभू का दायित्व स्थापित होगा।

[1]यदि प्रतिभू-पत्र में यह उपबन्ध हो कि धन राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा, तब प्रतिभू से इस धारा के अधीन वसूली नहीं हो सकती।

16. विक्रय के उपरान्त कार्यवाही क्रय का प्रमाण-पत्र और कब्जे का सौंपा जाना - (1) अचल सम्पत्ति के विक्रय के उपरान्त, उपवन मण्डलाधिकारी, पूर्ण प्रकरण प्रतिवेदन सहित, सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को विक्रय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा विक्रय की पुष्टि होने के उपरान्त क्रेता को -

भूमि के सम्बन्ध में प्रारूप "च" में तथा अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रारूप "ज" में विक्रय प्रमाण-पत्र देगा तथा क्रेता को ऐसी सम्पत्ति का कब्जा दिलवायेगा।

वसूली योग्य धन - अनुदान, पट्टा या संविदा के अधीन, शासन को देय धन तभी वसूली योग्य होगा, जब ऐसे संविदा या अनुबन्ध विधि सम्मत रूप में किये गए हों और उनमें यह शर्त हो कि "उसके अधीन देय धन भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल किये जा सकेंगे।" राज्य शासन के साथ संविदा वैध हो, इसके लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के उपबन्ध अवश्य पालनीय है और यदि उनका पालन नहीं किया जाता, तब उसे अन्तर्गत प्राप्य धन भू-राजस्व के अवशेष्ज्ञ के रूप में वसूल नहीं किये जा सकते। (म.प्र. राज्य वि. हाकम सिंह 1972 रा. नी 459, नब्बो बाई वि. म.प्र. शासन 1978 रा. नि. 1 (हा. को.)।

---

1. नब्बो बाई वि. म. प्र. राज्य, 1978 शा. नि. 1 हा. को.।

नोट - यदि नियन्त्रण के लिये आर. आर. सी. प्राप्त होते ही, फाइल बनाकर वर्षवार प्रकरण क्र. डाला जाए और रजिस्टर रखा जाये तो नियन्त्रण सरल रहेगा।

रजिस्टर का प्रारूप सुझाया जाता है -

वर्ष	अनुक्रम नं.	आर.आर.सी. प्राप्त होने का नम्बर/ दिनांक	बकायादार का नाम/ पूर्ण पता	बकाया राशि	आर.आर.सी. में दिया अचल चल सम्पत्ति का विवरण (यदि कोई हो)	मांग की सूचना जारी होने का क्रमांक/ दिनांक	मांग की सूचना की तामील का दिनांक	बकायादार की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही

कालम नं. 9 के विवरण का Source	कुर्की की तारीख	विक्रय की तारीख	प्राप्त धन जमा हाने	जमा होने का चा. नं.
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही अन्य रीति से वसूली जैसे

कुर्की की तारीख	विक्रय की तारीख	प्राप्त धन राशि	जमा होने का चा. नं.	बकायादार द्वारा किश्तों में राशि जमा कराना
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

कुल जमा राशि	शेष राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही यदि न वसूली योग्य घोषित की गई हो तो विवरण	वन मण्डलाधिकारी को फायनल प्रतिवेदन भेजने का क्र./दिनांक
(20)	(21)	(22)

नोट - फायनल प्रतिवेदन में -

(1) बकाया राशि वसूल हाने का पूर्ण विवरण मय चालान नं. .....

दिनांक .....

(2) यदि बकायादार के पास कोई चल/अचल सम्पत्ति न हो तथा राशि वसूली होने का कोई साधन न हो तो राशि वसूली योग्य नहीं है ऐसा प्रमाण-पत्र।

प्रारूप "क"

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 146 के अधीन।

मांग की सूचना

न्यायालय .....

श्री .....पुत्र .....

निवासी ग्राम .....तहसील .....

जिला .....

(को)

अपसे एतद्द्वारा यह सूचना ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है कि संलग्न विवरण-पत्र के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के बतौर वसूली योग्य/के लख में आप रु. ..... (अक्षरी रूपये .....) के देनदार हैं तथा यह कि यदि शास्ति एवं आदेशिका शुल्क जो रु. ..... है, सहित इस सूचना की प्राप्ति के ..... दिन में उसका भुगतान नहीं किया गया, तो देयों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध, विधि के अनुसार अवपीड़क कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम	खाता नं.	बकाया की राशि	शास्ति	आदेशिका शुल्क	कुल देय राशि	निर्वाह का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मुद्रा तहसील

प्रारूप "ख"

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 147 (क) के अधीन

चल-सम्पत्ति की कुर्की का अधिपत्र (वारण्ट)

श्री..... नाम ..... पद उस अधिकारी का नाम एवं पदाधिकार जिससे अधिपत्र के निष्पादन से प्रभारित किया है।)

क्योंकि श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... ने भू-राजस्व/धारा 155 के अधीन भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य धन/के लेखे में संलग्न विवरण में दिये गये विवरण के ब्यौरे के रूप में रुपये ..... (अक्षरी रुपये .....) के भुगतान में अवहेलना की है आपको एतद्द्वारा उक्त श्री ..... की चल-सम्पत्ति कुर्क करने की, और यदि देय सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाय, तो इस न्यायालय की अनन्तर आज्ञा पर्यन्त धारण करने की आज्ञा दी जाती है।

आपको यह अधिपत्र दिनांक ..... को या इसके पूर्व पृष्ठ लेख सहित, जिसमें उस दिनांक का और उस रीति का जिससे इसका निष्पादन हुआ/या नहीं हुआ/वापस लौटने का आदेश दिया जाता है।

अनुसूची

गांव	खाता क्रमांक	बकाया की राशि	आदेशिका शुल्क	शास्ति	कुल देय राशि	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा के अधीन आज दि. ..... को जारी।

मुद्रा तहसील

प्रारूप "ग"

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख), (ख ख), (ख ख ख) तथा 147 (ग) के अधीन।

निषेधक आज्ञा अचल-सम्पत्ति की कुर्की

न्यायालय .....

क्योंकि श्री ..... पुत्र .....निवासी..... तहसील ..... जिला ..... ने उस पर ..... बाकाया के लेख में देय रु. ..... (अक्षरी रुपये .....) के भुगतान में त्रुटि की है। अत:

यह आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री ..... की निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति को विक्रय, दान या अन्यथा अन्तरित या भार-मुक्त करने से इस कार्यालय के अनन्तर आदेश तक निषेधित एवं और रोका जाता है तथा समस्त व्यक्ति उस क्रय, दान, या अन्यथा प्राप्त करने से एतद्द्वारा निषेधित किये जाते हैं।

अनुसूची

(अचल सम्पत्ति का विवरण)

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से आज दिनांक ..... को जारी है।

मुद्रा तहसीलदार

प्रतिलिपि -

(1) सम्बन्धित श्री .....

(2) सम्बन्धित हल्का पटवारी .....

(3) सम्बन्धित नायब तहसीलदार .....

(4) तहसीलदार .....

(5) रजिस्ट्रार .....

(6) नगरपालिका अध्यक्ष .....

(7) .....

(8) .....

तहसीलदार

प्रारूप ''ग'' (1)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख ख) तथा (ख ख ख) के अधीन।

खाते को पट्टे पर देने की उद्घोषणा

चूँकि ..... आत्मज .....निवासी..... तहसील ..... जिला ..... द्वारा कालम 5 में उल्लिखित बकाया राशि तथा आदेशिका फीस का भुगतान नहीं किया है अतः शोध्य रु. ..... की वसूली के लिये नीचे निम्नलिखित खाता कुर्क किया गया है।

अतएव एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि शोध्य रकम, पट्टे में देने के लिए, इसमें निश्चित दिन के पूर्व न चुकाई गई तो उक्त खाता/खतों का उस पर/उन पर अधिरोपित समस्त भारों और उसके/उनके सम्बन्ध में किए गए समस्त अनुदानों से एवं संविदाओं से मुक्त स्थान ..... पर दिनांक ..... को ..... लगभग ..... बजे सार्वजनिक नीलाम द्वारा ..... वर्षों के लिये पट्टे पर दे दिया जायेगा।

विवरण

ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	लगभग (निर्धारित)	बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

खाते को पट्टे पर दिया जाना निम्न निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन होगा -

(एक) म. भू. रा. सा., 1959 (कॅ. 20, वर्ष 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (2) में तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा भाषित ''भूमिहीन व्यक्ति'' ही नीलाम में बोली लगाने का पात्र होगा।

(दो) पट्टेदार को अपनी भूमि, उसके किसी भाग को या किसी अधिकार का विक्रय, दान, बन्धक, उपपट्टे या किसी भी रीति में अन्तरण नहीं करेगा तथा इस प्रकार किया गया विक्रय दान, बन्धक, उप-पट्टे, या अन्य प्रकार से किया गया अन्तरण विधि के विपरीत होकर शून्य होगा।

(तीन) पट्टेदार भूमि का केवल कृषि प्रयोजनों के लिये ही उपयोग करेगा।

(चार) पट्टेदार अपने पट्टे की कालावधि में भूमि का निर्धारण (मालगुजारी) का भुगतान करेगा।

(पाँच) पट्टेदार भूमि पर या उसके किसी भाग पर स्थाई प्रकार की कोई रचना खड़ी नहीं करेगा।

(छः) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किये गये सुधारों के बारे में उसके द्वारा किये गये व्ययों के बारे में किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(सात) पट्टेदार उसके पक्ष में बोली समाप्त होते ही बोल की कुल रकम का भुगतान करेगा अथवा स्थिति में वह बोली की रकम का कम से कम एक-चौथाई भाग तुरन्त जमा करेगा और शेष 15 दिन के भीतर उसके द्वारा भुगतान किया जावेगा।

(आठ) यदि पन्द्रह दिन के अन्दर, शेष रकम का पट्टेदार द्वारा भुगतान न किया जाये तो उसके द्वारा जमा एक चौथाई रकम समपह्रत कर ली जायेगी और पुनः नीलाम किया जायेगा।

(नौ) यह विक्रय अधिकारी (उप-वन मण्डलाधिकारी) के विवेक पर होगा कि वह अधिकतम बोली को स्वीकार करे या न करे तथा भूमि को पट्टे पर देया न दे।

(दस) पट्टे की कालावधि समाप्त होने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जायेगा तथा पट्टे के अधीन भूमि, मूल स्वामी को अन्तरितकर दी गई समझी जावेगी।

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक

प्रारूप "ग" (2)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 147 (ख-ख) तथा (ख-ख-ख) के अधीन पट्टा विलेख

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 147 (ख-ख) (ख-ख-ख) के अधीन ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... में स्थित उस भूमि का जिसे संलग्न अनुसूची में विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया है, यह अस्थाई पट्टा तहसील ..... जिला ..... के तहसीलदार द्वारा निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर प्रदान किया जाता है -

(एक) पट्टेदार को कृषि वर्ष ..... में कृषि वर्ष ..... तक भूमि को धारण करेगा।

(दो) पट्टेदार को अपनी भूमि उसके किसी भाग के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बन्धक, उपपट्टे या अन्य किसी भी रीति में अन्तरण नहीं करेगा तथा इस प्रकार किया गया विक्रय, दान, बन्धक, उप पट्टे या अन्य प्रकार से किया गया अन्तरण विधि के विपरीत होकर शून्य होगा।

(तीन) पट्टेदार भूमि का केवल कृषि प्रयोजनों के लिये ही उपयोग करेगा।

(चार) पट्टेदार अपने पट्टे की कालावधि में भूमि का निर्धारण (मालगुजारी) का भुगतान करेगा।

(पाँच) पट्टेदार भूमि पर या उसके किसी भाग पर स्थाई प्रकार की कोई रचना खड़ी नहीं करेगा।

(छः) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किये गये सुधारों के बारे में उसके द्वारा किये गये व्ययों के बारे मे किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(सात) पट्टेदार की कालावधि समाप्त होने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जायेगा तथा पट्टे के अधीन भूमि, मूल स्वामी को अन्तरित कर दी गई समझी जायेगी।

यदि पट्टाधारी, उल्लिखित दिनांक को भू-राजस्व का भुगतान न करे, या ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करे तो तहसीलदार भूमि में प्रवेश कर सकेगा और खड़ी फसलों सहित भूमि का कब्जा ले सकेगा और तहसीलदार उस सम्बन्ध में कोई नुकसानी या प्रतिकर चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

अनुसूची

ग्राम का नाम, बन्दोबस्त क्र. पटवारी हल्का क्र.	तहसील	सर्वे नम्बर	पट्टे पर दी भूमि का क्षेत्र	राजस्व निर्धारण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

आज दिनांक ..... को प्रदत्त

साक्षीगण - (1) .....

(2) ..... तहसीलदार

मैंन ऊपर उल्लिखित की गई शर्तें पढ़ तथा समझ ली हैं और मैं उनका पालन करने का करार करता हूँ।

(पट्टेदार के हस्ताक्षर)

साक्षीगण - (1) ..... पिता का नाम .....

(2) ..... जाति .....

निवासी .....

प्रारूप ''घ''

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (क) के अधीन चल सम्पत्ति के विक्रय की उद्घोषणा

क्योंकि नीचे निर्देशित चल सम्पत्ति जो श्री ..... पुत्र..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... की, भू-राजस्व की/भू-राजस्व के बतौर वसूली योग्य राशि ..... की बकाया, आदेशिका शुल्क और शास्ति के लेखे में रुपये ..... की वसूली हेतु कुर्क की गई है।

एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के हेतु नियत दिनांक से पूर्व देय राशि का निर्धारित रीति में भुगतान नहीं किया जाता तो उक्त सम्पत्ति का सार्वजनिक घोष विक्रय (स्थान) ..... पर दिनांक ..... को ..... बजे से या उस समय के लगभग विक्रय कर दिया जावेगा :

कुर्क सम्पत्ति का विवरण

कुर्क की गई चल सम्पत्ति का विवरण	वस्तुओं की संख्या धारा	147 के अधीन मुक्त की गई सम्पत्ति
(1)	(2)	(3)

दिनांक .....

मुद्रा तहसीलदार

प्रारूप ''ङ''

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के नियम 147 के अधीन खाते के विक्रय की उद्घोषणा

क्योंकि नीचे निर्देशित खाता/खातों को श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... पर देय कालम (पाँच) में निर्देशित/भू-राजस्व/भूराजस्व बतौर वसूली योग्य धन और आदेशिका शुल्क के लेखे में ..... रु. की वसूली हेतु कुर्क किया गया है।

एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय हेतु नियम दिनांक से पूर्व देय राशि का भुगतान निर्धारित रीति में नहीं किया जाता है तो उक्त खाता/खतों का (स्थान) ..... दिनांक ..... को ..... बजे या उस समय के लगभग उस/उन पर रोपित समस्त भारों से और उस/उन पर किये गये समस्त अनुदानों एवं संविदाओं से मुक्त रूप में नीलाम कर दिया जायेगा -

खातों का विवरण

गाँव	खाते नम्बर	क्षेत्रफल	राजस्व निर्धारण	बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

टिप्पणी - (1) प्रत्येक खाते पर बकाया भूराजस्व स्तम्भ 5 में अलग-अलग दर्शाया जायेगा।

(2) यदि किसी खाते में से अधिक सर्वे नम्बर हों या अलग-अलग भू-खण्ड हों तो विक्रय का संचालन करने वाला अधिकारी को ऐसे नम्बर या भूखण्डों में से एक या अधिक का, जो बकाया की वसूली हेतु आवश्यक हों, करने की छूट होगी।

(मुद्रा) तहसीलदार

प्रारूप "च"

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख) के अधीन भूमि के विक्रय का प्रमाण पत्र

न्यायालय .....
प्रकरण क्रमांक ..... वर्ष .....

प्रारूप "ज"

संदर्भ-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ग) अचल सम्पत्ति का विक्रय प्रमाण पत्र

न्यायालय .....प्रकरण क्रमांक ..... वर्ष ..... यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... वर्ष ..... यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... जिला ..... को दिनांक ..... को आयोजित घोष विक्रय (नीलाम) में नीचे निर्देशित अचल सम्पत्ति का क्रेता घोषित किया गया है।

ऐसे विक्रय द्वारा क्रेता को उक्त सम्पत्ति में श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... का मूल/स्वत्व/स्वत्वाधिकारी और हित अन्तरित (Transfer) हुए हैं।

सम्पत्ति का ब्यौरा

वर्णन	स्थान	निर्धारित यदि कोई हो	अभिलिखित का नाम	धनराशि जिसमें क्रय किया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(मुद्रा) तहसीलदार

वन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र (Revenue Recovery Certificate) का प्रारूप -

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल ..... क्र. ..... दिनांक .....

प्रति,

तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार एवं उपवन मण्डलाधिकारी

द्वारा- जिलाधीश .....

विषय - बकाया वन राजस्व की वसूली -

श्री ..... आत्मज ..... पेशा ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला .....पर ..... के बावत रु. ..... (अक्षरी रुपये .....) बकाया है, जो उसके द्वारा की गई संविदा के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के बतौर वसूली योग्य है।

कृपया बकायादार से उपरोक्त बकाया धन भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करें और कार्यवाही तब तक न रोकें जब तक कि बकायादार बकाया राशि के भुगतान के प्रमाण स्वरूप रु. ..... का बैंक/खजाने में राशि जमा कराने का चालान न प्रस्तुत करें, जिसमें उस राशि को उपरोक्त बकाया के सम्बन्ध में भुगतान करने का विवरण हो। भुगतान होने पर चालान की एक प्रति इस कार्यालय में समायोजित हेतु भेजें।

यदि यह रकम ठेकेदार से वसूल न हो रही हो तो कृपया उसके जमानतदार श्री ..... आत्मज ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला से यह राशि वसूल करें।

वन मण्डलाधिकारी

..... वन मण्डल

क्र. ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि

परिक्षेत्र अधिकारी ..... परिक्षेत्र ..... को सूचनार्थ अग्रेषित। वे इस पत्र की एक प्रति बकायादार को दें तथा बकाया की राशि जमा कराकर सम्बन्धित तहसीलदार को चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें। वे वसूली के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपवन मण्डलाधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार को बकायादार की चल-अलच सम्पत्ति का पता लगाने एवं अन्य कार्यवाही में सहयोग दें जिससे बकाया राशि तत्वरता से वसूल हो सके।

वन मण्डलाधिकारी

..... वन मण्डल